HIGH COURT BAR ASSOCIATION, ALLAHABAD
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President
Radha Kant Ojha 9415217248

Hony. Secretary
Satya Dheer Singh Jadaun 9839024686

Senior Vice President
Manoj Kumar Mishra 9415369350

Vice President
Niraj Kumar Tripathi 9415625185
Surendra Nath Mishra 9450635316
Dharmendra Singh Yadav 8574241399
Satyam Pandey 9794110204
Shyama Charan Tripathi (Munchun) 9695756432

Join Secretary Administration
Sanjay Singh Somvanshi 9415256798

Join Secretary Library
Yadvesh Yadav 9450585652

Join Secretary Press
Ashutosh Tripathi 9415707207

Join Secretary Women
Ushma Mishra 9984551328

Treasurer
Arun Kumar Singh 9782502040

Member of Governing Council
Pooja Singh 8543957474
Priyanka Sharma 7007373939
Annapurna Singh 9838712214
Rakhi Kumari 8563831665
Anuj Kumar Singh 9415316691
Jitendra Singh 9651101001
Dileep Kumar Yadava 9307778303
Anurag Shukla 9453636990
Abhishek Tiwari 9451511274
Syed Faiz Hasnain 7860127272
Akhilesh Kumar Shukla 9794446555
Hari Mohan Kesarwani 8808957178
Deepankar Dwivedi 9793188438
Manav Chaurasia 9415290750
Vikrant Neeraj 8839484634

H.C.B.A. Ref. No. .... Dated : 04.08.2022

प्रकाशनार्थ

प्रयागराज। आज दिनांक 04.08.2022 को सायंकाल 4:00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के नये पदाधिकारी कक्ष में **अध्यक्ष** एवं **वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कान्त ओझा** की अध्यक्षता तथा **महासचिव श्री सत्य धीर सिंह जादौन** के संचालन में कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें मा0 मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के आश्वासन के बावजूद दाखिले व लिस्टिंग से सम्बन्धित समस्याओं का सन्तोषजनक हल न निकलने पर खेद व्यक्त किया गया तथा निम्नलिखित समस्याओं पर तत्काल सुधार हेतु आवश्यक निर्णय लिये जाने पर बल दिया गया।

1. नये दाखिल मुकदमों का दाखिले की तिथि से तीन दिनों के अंदर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाना सुनिश्चित हो।
2. नये व लिस्ट के मुकदमों का पास–ओवर होने पर एक सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किया जाना सुनिश्चित हो।
3. नये मुकदमों को सूचीबद्ध करते समय पूर्व की तिथि के मुकदमों को प्राथमिकता पर ऊपर सूचीबद्ध किया जाना सुनिश्चित हो।
4. लिस्टिंग अप्लीकेशन पर प्रत्येक दशा में जल्द सुनवाई हेतु मुकदमों को सूचीबद्ध किया जाना सुनिश्चित हो।
5. महाधिवक्ता कार्यालय को मुकदमों की सुनवाई हेतु दाखिल याचिका की दो छायाप्रति अधिवक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने को अप्रासंगिक बताते हुए आगामी 08.08.2022 से न दिये जाने का निर्णय लिया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं को ऐसा करने हेतु बाध्य न किए जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया गया।
6. मुकदमों की सुनवांई हेतु एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जाने वाली सूचना का समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के **अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कान्त ओझा** ने कहा कि विगत दिनों मा0 मुख्य न्यायमूर्ति महोदय का बार एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में उक्त समस्याओं के सम्बन्ध में कई बार ध्यानाकर्षित कराया गया किन्तु कुछ सुधार के बावजूद उपरोक्त समस्याएँ गम्भीर रूप में बनी हुई है जिसका तत्काल निराकरण किया जाना अति–आवश्यक है।

महासचिव श्री सत्य धीर सिंह जादौन ने कहा कि उपरोक्त समस्याओं का सन्तोषजनक निराकरण न हो पाने की वजह से अधिवक्तागण को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही समस्याओं का उचित समाधान नही निकाला गया तो बार एसोसिएशन द्वारा कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जायेगा।

उक्त अवसर पर श्री मनोज कुमार मिश्र (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), सर्वश्री नीरज कुमार त्रिपाठी, धर्मेन्द्र सिंह यादव, सत्यम पाण्डेय, श्यामा चरण त्रिपाठी (उपाध्यक्षगण), यादवेश यादव (संयुक्त सचिव, लाइब्रेरी), आशुतोष त्रिपाठी (संयुक्त सचिव, प्रेस), ऊष्मा मिश्रा (संयुक्त सचिव, महिला), अरूण कुमार सिंह (कोषाध्यक्ष), अन्नपूर्णा सिंह चन्देल, राखी कुमारी, अनुज कुमार सिंह, जितेन्द्र सिंह, दिलीप कुमार यादव, अनुराग शुक्ला, अभिषेक तिवारी, अखिलेश कुमार शुक्ला, दीपांकर द्विवेदी, मानव चौरसिया एवं विक्रान्त नीरज (कार्यकारिणी सदस्यगण) उपस्थित रहे।

(आशुतोष त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव (प्रेस)

ASHUTOSH TRIPATHI
Joint Secretary (PRESS)
High Court Bar Association
Allahabad